विधानसभा प्रश्न क्र. 620 (नता.) [14/2/2024]

परिशिष्ट – एक

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

प्रश्न सं. [क्र. 620]

(म0प्र0 शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई टीकमगढ़

वैशाली नगर, नगरपालिका आफिस के पीछे

E-mail: gmtikamgarh.mpjalnigam@mp.gov.in, CIN. No. U41000MP2012SGC028798

क्र. 532 / म.प्र.जल नि. मर्या. / पी.आई.यू. / 2020 टीकमगढ़, दिनांक– 25/6/20

प्रति,

मैसर्स (OSTWAL) मध्य भारत एग्रो प्रो.लि. इंडस्ट्री
क्षेत्र सौराई तहसील बंडा
जिला–सागर (म0 प्र0)

विषयः– मैसर्स मध्य भारत एग्रो प्रो.लि. इंडस्ट्री, बंडा स्थित प्लांट में शुद्ध पेयजल प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः–
1. आपका पत्र दिनांक 19.08.2019, 11.11.2019 एवं 22.12.2019
2. परियोजना निदेशक का पत्र क्रमांक 10454 / 206 / तक. / म.प्र.ज.नि. / 2019 भोपाल दिनांक 20.12.2019
3. परियोजना निदेशक का पत्र क्रमांक 2665 / 206 / तक. / म.प्र.ज.नि. / 2020 भोपाल दिनांक 17.03.2020

------------00----------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपको बकस्वाहा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित भोपाल द्वारा सैद्धांतिक अनुमति संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से निम्नलिखित शर्तो पर दी गई है–

1. योजना से जल लिये जाने हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य आपके स्वयं के व्यय पर करना होगा।

2. जल निगम मर्यादित द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा एवं भुगतान में विलंब होने की स्थति में जल प्रदाय नही किया जावेगा।

शासन स्तर पर इंडस्ट्रीज को प्रदाय किये जाने वाले जल प्रदाय के टेरीफ की दर निर्धारित की जा रही है। दरों का निर्धारण होने के उपरांत एवं शर्तो के पालन में प्रतिदिन जल प्रदाय किये जाने के संबंध में योजना के क्रियान्वयन के पश्चात आपके द्वारा जल निगम मर्यादित से अनुबंध करना होगा, और इसके पश्चात ही शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु पाइप लाइन बिछाने एवं अन्य संबंधित कार्य किये जावेगे।

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
टीकमगढ़ (म0प्र0)

पृ.क्र. 533 / म.प्र.जल नि. मर्या. / पी.आई.यू. / 2020 टीकमगढ़, दिनांक– 25/6/20

प्रतिलिपिः–
1. एस.क्यू.सी. मैं. टी.यू.व्ही. एस.यू.डी. साउथ एशिया प्रा.लि. टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. मैसर्स एल.एण्ड टी. कन्स्ट्रक्शन साइट ऑफिस बण्डा की ओर सूचनार्थ।

Recieved by ... 24/6/2020

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
टीकमगढ़ (म0प्र0)

मध्यप्रदेश जल निगम

"घ" विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल–462004

Web: mpjalnigam.mp.gov.in, Email: mpjalnigam@mp.gov.in

Ph: 0755-2579034-35-36, Fax: 0755-2579873

CIN: U41000MP2012SGC028798

क्रमांक / 2665 / 206 / तक. / म.प्र.ज.नि. / 2020 भोपाल, दिनांक 17 / 03 / 2020

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश जल निगम,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
टीकमगढ़।

विषय :– मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रा. लि. इंडस्ट्री की जलमांग के संबंध में।

संदर्भः–1. मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रा. लि. इंडस्ट्री का पत्र दि. 19.08.2019,11.11.2019 एवं 22.11.19

2. आपका पत्र क्र. 1758 दि. 26.10.2019 एवं क्र. 81 दि. 24.01.2020

3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 10454 / 206 / तक. / म.प्र.ज.नि. / 2019 / भोपाल, 20.12.2019

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश जल निगम की बक्सवाह समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित जल शोधन संयंत्र से मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रा. लि. इंडस्ट्री को जल प्रदाय करने हेतु सैद्धांतिक सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि उक्त योजना से इंडस्ट्री को जल प्रदाय प्रारंभ होने पर योजना से जल लिये जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य उपभोक्ता फर्म को स्वयं के व्यय पर करना होगा एवं जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा एवं भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में जल प्रदाय नहीं किया जायेगा।.

उक्त संबंध में मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रा. लि. इंडस्ट्री को जल निगम से अनुबंध संलग्न करना होगा।

(बी. एम. सोनी)
परियोजना निदेशक

पृ. क्र. / 2666 / 206 / तक. / म.प्र.ज.नि. / 2020 भोपाल, दिनांक 17 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

मैसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सौराई तहसील –बन्डा, जिला सागर की ओर उनके संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना निदेशक

D-T.Letter